



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 06 अप्रैल, 2004 ई0

चैत्र 17, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-5

संख्या 26/वि0 अनु0-5/मनो0कर (01/मनो0कर/04)/2004

देहरादून, 06 अप्रैल, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 38 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में निम्नलिखित संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन)

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :
 - (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) कहलायेगा।
 - (2) यह आदेश गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।
- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम 22 का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम 22 के उप नियम (i) (ii) (iii) (iv) (v) तथा (vi) में शब्द "चलचित्र मशीन" जहाँ भी आएँ, उनके स्थान पर "चलचित्र मशीन या/और इलैक्ट्रॉनिक डिजीटल प्रोजेक्शन सिस्टम" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no.26/Vitta Anu.-5/Mano.Kar (01/Mano.Kar /04)/2004, dated April 06, 2004 for general information :

No. 26/Vitta Anu.-5/Mano.Kar (01/Mano.Kar /04)/2004

Dated Dehradun, April 06, 2004

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 38, sub-section (1) of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979) Adaptation and Modification Order, 2002, in its application to the State of Uttaranchal, the Governor is pleased to accord sanction to amend the Uttaranchal (Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951) Adaptation and Modification Order, 2002 as follows :-

UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH CINEMATOGRAPH RULES, 1951) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (FIRST AMENDMENT)

1. Short Title and Commencement :

- (1) This order may be called 'Uttaranchal (Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951) Adaptation and Modification Order, 2002 (First Amendment).
- (2) This order shall come into force with effect from its date of publication in the official gazette.

2. Amendment of Rule 22 of Uttaranchal (Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951) Adaptation and Modification Order, 2002 :

In sub rule (i) (ii) (iii) (iv) (v) and (vi) of rule 22 of the Principal Rule ;
For the words 'Cinematograph Machine', wherever occur, the words 'Cinematograph Machine or/and Electronic Digital Projection System' shall be substituted.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Pramukh Sachiv.